संख्या-सा-4-1699/दस--84-925-60 टी0 सी0-II

प्रेषक,

डा0 जे0 पी0 सिंह,
वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ : दिनांक: 6 दिसम्बर, 1984

विषय:--सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, कम्पनियों, निगमों आदि में सरकारी सेवकों का स्थायी आमेलन ।

महोदय,

वित्त (सामान्य नुभाग-4)

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, कम्पनियों, निगमों आदि में वाह्य सेवा शर्तों के प्रयोजन प्रतिनियुक्ति पर गए सरकारी सेवकों के स्थायी आमेलन के मामले वित्त विभाग द्वारा पूर्व निर्गत शासनादेशों के आधार पर विनियमित होते रहे हैं । शासन का ध्यान कुछ बिन्दुओं की ओर आकर्षित हुआ है जो वित्त विभाग के शासनादेश संख्या जो-2-3573/दस-- 925-60, दिनांक 4-3-1971 द्वारा की गयी व्यवस्था से आच्छादित नहीं होते और कुछ ऐसे भी बिन्दु हैं जिन पर पुनर्विचार किये जाने की आवश्यकता समझी गयी । तद्नुसार इस सम्बन्ध में सम्यक् रूप से विचार करके एक नियमावली बनाई गयी है जिसे राज्यपाल महोदय ने इस विषय में समय-समय निर्गत समस्त पूर्व आदेशों के अतिक्रमण में विज्ञप्ति संख्या जो-4-1660/दस-- 84-925-60 टी0सी0 (दो), दिनांक 1 दिसम्बर, 1984 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा लागू किये जाने के सहर्ष आदेश प्रदान किये हैं ।

2--संलग्न नियमावली के लागू होने के पूर्व जिन मामलों में संविलयन (आमेलन) की स्वीकृति जारी हो चुकी है वे पुनरोद्घाटित (re-open) नहीं किये जायेंगे ।

3--कृपया उपर्युक्त नियमावली से अपने उन सभी कर्मचारियों को अवगत करा दें जो नियमावली के नियम 2 (छ) में उल्लिखित किसी उपक्रम आदि में प्रतिनियुक्ति पर हों ।

भवदीय,
डा० जे0 पी0 सिंह,
सचिव ।

संख्या सा-4-1699 (1)/दस--84-925-60 टी0सी-II तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

(1) शासन के समस्त सचिव एवं विशेष सचिव ।
(2) सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
(3) महालेखाकार प्रथम व तृतीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
(4) महालेखाकार, द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
(5) सचिव, विधान सभा/परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
(6) प्रधानाचार्य, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण केन्द्र, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

आज्ञा से,
वेद प्रकाश अग्रवाल,
संयुक्त सचिव ।